

उ०प्र० आवास विकास परिषद के
वाराणसी जोन के अन्तर्गत
गोरखपुर, बस्ती तथा फैजाबाद
की सम्पत्तियों की
आवंटन/नीलामी

आवंटन/
नीलामी तिथि:
29.12.2018
— समय —
11:00 बजे



नीलामी स्थल

वाराणसी जोन कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
ऑफिस कम शॉपिंग काम्पलेक्स, जवाहर नगर
(भेलूपुर), वाराणसी

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्तियों का प्रकार/ संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित दर (प्रति व.मी.)	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (लाख में)
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
दुकान-LGFS-9,10,11 (अनारक्षित)	03	9.633 व.मी.	—	1405774.00 प्रति नग	1.41 नीलामी
तहसील हरैया, बाम्बे योजना, बस्ती					
आवासीय भवन 22 नग 15/25 प्रकार बी०पी०एल० कार्डधारकों हेतु	22	25.05 व.मी.	—	0.40 प्रति नग	0.05 लाटरी द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
व्यव०भू०-1341/1 (अनारक्षित)	01	100.65	21280.00	21.41	2.15 नीलामी
कियोस्क-4	01	2.00 व.मी.	—	1.90 प्रति नग	19000.00 नीलामी

नोट: तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित वक्तियों के (बी०पी०एल० कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यावाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवंटन पत्र के साथ बी०पी०एल० कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर से जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना: (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु० 100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य नियम व शर्तें

- समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 107/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो 05:00 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर (आवेदन पत्र दिनांक तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05:00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय में जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- निर्माणाधीन भवनों/फ्लैटों के आवंटन पर नियमानुसार कुल मूल्य पर 12.00 प्रतिशत जी0एस0टी0 देय होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या में कारणोवश कमी होना सम्भाव्य है।
- किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिये

जन सुविधा केन्द्र

1800-180-5333 (टोल फ्री), 0522-2236803

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक

कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



(सर्वोत्तम प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

सर्वोत्तम प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Web: <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com

